मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-5/5/2016/58 भोपाल, दिनांक 20/1/18

प्रति,

आयुक्त सह संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं हेतु मार्गदर्शी निर्देश।

---०००००---

मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 15 जून 2016 के निर्णय के पालन में मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं मध्यप्रदेश उदयोग संवर्धन नीति, 2014 में जोड़े जाने की स्वीकृति वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पत्र 1892/921/2016/ए-11 दिनांक 06.08.2016 द्वारा प्रदान की गई है। वित्तीय सहायताओं के क्रियान्वयन हेतु विद्युत खपत सहायता, प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर सहायता, शोध एवं विकास को बढ़ावा देने एवं निर्यात हेतु परिवहन सहायता के घटक में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन **www.mphorticulture.gov.in** पर किया जा सकता है।

2. सहायता प्राप्त करने की ईच्छा रखने वाली इकाई का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पंजीयन/उद्योग आधार तथा आवेदन दिनांक को व्यवसायिक परिचालन/उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा।

3. सहायता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल को विभिन्न घटकों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मय अभिलेख के प्रस्तुत करना होगा, जो पात्रता एवं प्रावधान अनुसार स्वीकृति एवं सहायता राशि जारी करेंगे।

4. विभिन्न घटकों में सहायता का स्वरूप एवं प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

4.1 **विद्युत खपत सहायता** :- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को वर्तमान विद्युत नीति में रुपये 1.00 प्रति विद्युत इकाई की दर से छूट उपलब्ध है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग इकाईयों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को पूर्ण विद्युत

दर के देयक का भुगतान किये जाने के उपरांत रुपये 1.00 प्रति विद्युत इकाई की दर से प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जायेगी। यह सहायता उत्पादन/व्यवसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी। सीजनल निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी (एल-व्ही 4) के उपभोक्ताओं को ऑफ-सीजन में सामान्य टैरिफ से छूट दी गयी है, जिसके अनुसार ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाती है, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी।

पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया :- इकाई द्वारा प्रत्येक माह की विद्युत देयक भुगतान की रसीद ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत करना होगा।

4.2. **प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर प्रतिपूर्ति :-** आधुनिक गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये वर्तमान तथा नई इकाईयों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वांईट(एच.ए.सी.सीपी.), गुड मैन्युफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस (जी.एम.पी.), आई.एस.ओ. 9000, एगमार्क, एफ.पी.ओ., गुड लेबोरेट्री प्रैक्टिस(जी.एल.पी.), टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट(टी.क्यू.एम.), आदि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के शुल्क का 50% रुपये 5.00 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया :- इकाई द्वारा प्राप्त किये गये प्रमाण-पत्र का पूर्ण विवरण एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय की रसीद के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4.3. **शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रतिपूर्ति :-** खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में शोध एवं विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये पेटेण्ट प्राप्त करने पर प्रत्येक पेटेण्ट के लिये रुपये 5.00 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। शासकीय शोध संस्थाओं से तकनीक प्राप्त करने पर ऐसे तकनीक हस्तांतरण का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 5.00 लाख जो भी कम हो, की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया :- इकाई द्वारा पेटेन्ट प्राप्त करने पर, शासकीय शोध संस्थाओं से प्राप्त की गई तकनीक हस्तांतरण का पूर्ण विवरण एवं शोध संस्थान को किये गये भुगतान की रसीद एवं प्राप्त की गई तकनीक का उपयोग इकाई द्वारा किया जा रहा है का स्व-प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4.4. **परिवहन पर प्रतिपूर्ति :-** निर्यात् को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायुयान एवं सड़क के माध्यम से इनलैंड कंटेनर डिपो/बंदरगाह तक नश्वर उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रसंस्कृत उत्पादों के परिवहन पर व्यय की गई राशि के 30 प्रतिशत की दर से रुपये 10.00 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह सहायता प्रथम उत्पादन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। यह सहायता आटा, चावल और सोया तेल के परिवहन पर उपलब्ध नहीं होगी।

पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया :- इकाई द्वारा एपिडा/स्पाईसेज बोर्ड में इकाई के पंजीयन का प्रमाण पत्र, परिवहन पर किये गये व्यय के भुगतान की रसीद एवं Self Certified Copy of Export General manifest issued by the Shipping carrier के दस्तावेजों सहित ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अशोक बर्णवाल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ-5/5/2016/58 भोपाल,दिनांक 20/10

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग की ओर महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त उद्योग, मध्यप्रदेश
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग